<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>गोविन्द राजपुरोहित बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, ओसिया)
सू.अ.अपील संख्या 353 / 2022</td><td>न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>01.12.22</td><td>अपीलार्थी गोविन्द राजपुरोहित पुत्र मोहनलाल राजपुरोहित निवासी मकान न. 18, द्वितीय बी रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.09.2022 में उसके द्वारा (1) राज्य सरकार के द्वारा प्रशासन गांवों की ओर अभियान के दौरान दिनांक 19.11.2021 को ग्राम थोब तहसील ओसियां, जिला जोधपुर में कैम्प में प्रस्तुत नामान्तरण के प्रार्थना पत्रों की संख्या एवं आज दिनांक तक निस्तारित प्रार्थना पत्रों की संख्या तथा नामान्तरण के प्रार्थना पत्र जिनका निस्तारण आज दिनांक तक नहीं किया गया है (2) अन्य बिन्दूओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, ओसियां) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, ओसियां) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, ओसिया) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, ओसियां) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</td><td></td></tr>
</table>